| 54 |

9/5/19

वकुलाप फरीकेन उपस्थित है। अधिवक्ता प्रति. नं. 1 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। नकल अधिवक्ता वादी को दिलायी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से का विभाजन का यह वाद पेश किया है प्रति. 1, 2 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर उनके हिस्से का भी विभाजन

लगातार-

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

चाहा है। चूंकि इस प्रकरण में सभी पक्षकारान वादग्रस्त आराजी में स्थित अपने-अपने हिस्सों का मौके पर काबिज काश्त (कब्जे) के अनुसार विभाजन कराने में पूर्ण रूप से सहमत है। ग्राम जोलपा की जमाबंदी सं० 2072-75 की खाता सं० 335 की ख० नं० 919 रकबा 32.04 बीघा आराजी में वादी व प्रति०1,2 सहखातेदार दर्ज रेकार्ड हैं। ऐसे में यह अपने-अपने हिस्सों का विभाजन कराकर पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

अतः वाद, वादी स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा ग्राम जोलपा की जमाबंदी सं० 2072-75 की खतौनी सं० 335 की ख० नं० 919 रकबा 32.04 बीघा आराजी में वादी व प्रति०1, 2 का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन किया जाकर खाता पृथक किये जाने की आज्ञापारित की जाती है। तहसीलदार खानपुर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी में आने-जाने के रास्ते का प्रावधान करते हुये पक्षकारान के कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे। खातेपर रहन का अंकन यथावत रहेगा तथा खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन

लगातार--

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

करेंगे। इस आदेश का डिक्री पर्चा जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 9/05/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

मि0नं0 860/दावा/2018 उनवान किशनचंद्र बनाम कस्तूरीबाई

28/06/2019

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन को न्यायालय हाजा के निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 09.05.2019 की अनुपालना में तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया। अधिवक्ता उभय पक्ष प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत है।

अतः न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिकी दिनांक 09.05.2019 की अनुपालना में तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जोलपा की जमाबंदी सं0 2072–75 की खाता सं0 335 की ख0नं0 919 रकबा 32.04 बीघा आराजी में से वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सों का विभाजन निम्न प्रकार किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

वादीगण :– किशनचंद्र पुत्र लक्ष्मीनारायण हि0 3/17, बृजमोहन पुत्र लक्ष्मीनाराण हि0 10/17, जानकीबाई पत्नि लक्ष्मीनारायण हि0 4/17 जाति धाकड़ निवासी चतरपुरा तह0 सांगोद जिला कोटा के पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी

क0सं0	नाम ग्राम	ख0नं0	रकबा(बीघा)	दिशा
1	जोलपा	919	17.02	उत्तर–पूर्व
कुलयोग		1 किता	17.02	

प्रतिवादी नं0 1 :– कस्तूरबाई पत्नि मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी चतरपुरा तह0 सांगोद जिला कोटा के पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी

क0सं0	नाम ग्राम	ख0नं0	रकबा(बीघा)	दिशा
	जोलपा	919/1	10.01	उत्तर–पश्चिम
कुलयोग		1 किता	10.01	

प्रतिवादी नं0 2 :– मुकेशकुमार पुत्र रामकल्याण जाति गुर्जर निवासी जोलपा तह0 खानपुर जिला झालावाड़ के पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी

क0सं0	नाम ग्राम	ख0नं0	रकबा(बीघा)	दिशा
1	जोलपा	919/2	5.01	दक्षिण
कुलयोग		1 किता	5.01	

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। खाते पर रहन का अंकन यथावत रहेगा। पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी पर पक्षकारान को मौके पर कब्जा भी संम्भलाया जावे। इस आशय की अंतिम डिकी मुर्तिब हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़

निर्णय आज दिनांक 28/06/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़

Scanned by CamScanner